रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1975/भाद्र 19, 1897

No. 357] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1975/BHADRA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September 1975

S.O. 496(E).—In exercise of the powers conferred by section 169, read with sections 12A and 14A, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, in consultation with the Election Commission, hereby makes the following Rules, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Conduct of Parliamentary Elections (Sikkim) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. The Conduct of Elections Rules, 1961, in so far as they relate to the elections to the Council of States shall apply—

(a) to the election of the representative of the State of Sikkim in the House of the People specified in clause (c) of article 371F of the Constitution, with the necessary modifications;

(b) to the elections for filling the seat allotted to the State of Sikkim in the Council of States.

[No. F.7(14)/75-Leg.II]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० आ० 496 (अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12क और 14क के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करके, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) *इन नियमों का नाम संसदीय निर्वाचन संचालन (सिक्किम) नियम,* 1975 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, जहां तक कि उनका सम्बन्ध राज्य सभा के निर्वाचनों से है,—

(क) संविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट लोक सभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन को, आवश्यक उपान्तरों सहित, लागू होंगे ;

(ख) राज्य सभा में सिक्किम राज्य को आबंटित स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचनों को लागू होंगे ।

[सं० एफ० 7(14)/75-वि० 2]

के० के० सुन्दरम, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975